संख्याः–1387/79–6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 17 अक्टूबर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये गये थाली व गिलास की डिलीवरी प्वाइण्ट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टैस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ थाली गिलास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1883/79–6–2015 दिनांकः 02 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा–1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों को उनमें अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार मध्यान्ह भोजन हेतु स्टेनलेस स्टील की एक थाली एवं एक गिलास का सेट प्रति छात्र उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उन बर्तनों का उपयोग छात्रों के मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने हेतु किया जायेगा तथा बर्तन विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। बर्तनों के क्रय हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से निविदा प्रक्रिया कर क्रयादेश निर्गत किये जाने एवं बर्तनों की आपूर्ति जनपद/ब्लाक पर होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा बर्तन क्रय किये जाने हेतु रू0 113.30 प्रति थाली एवं गिलास के सेट की दर से निम्न 03 आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निर्गत किया गया हैः–

1. मे0 पावरटेक इलेक्ट्रोइन्फ्रा प्रा0लि0, सी–2001/22, इरम इण्टर कालेज के पीछे, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016
2. मे0 अभिलाषा कामर्शियल प्रा0लि0, जी–69, सेक्टर–6, नोएडा, उ0प्र0।

3. मे0 दीवान एण्ड सण्स, लकरी–फजलपुर, मिनी बाई पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

उपरोक्त तीनों आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित डिलीवरी प्वाइण्ट (खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर चिन्हित गोदाम/स्थान) एवं उसके सापेक्ष बर्तनों के सेट की संख्या संबंधी सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्त क्रम में अपेक्षित है कि जनपद/विकास खण्ड स्तर पर बर्तनों की प्राप्ति एवं सत्यापन, सैम्पल टैस्टिंग, वितरण, भुगतान एवं कटौती आदि के संबंध में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करें :–

2. बर्तनों की प्राप्ति एवं सत्यापन

2.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर बर्तनों की आपूर्ति दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2.2 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं विद्यालयों में वितरण हेतु संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद स्तर पर आपूर्ति/भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र हेतु थाली व गिलास की पैकिंग पृथक–पृथक की जायेगी तथा आवंटित समस्त बर्तनों की संख्या की आपूर्ति एक कन्साइनमेन्ट में की जायेगी।

2.4 आपूर्ति के समय संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत गोदाम/स्थान पर अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करायी जायेगी तथा आपूर्तित बर्तनों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।

2.5 आपूर्ति के समय बर्तनों की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग अर्थात् वाहन से उतारने एवं नियत गोदाम/स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखे जाने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। परिवहन के समय हुई टूट–फूट की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में समस्त क्षतिग्रस्त बर्तन तत्काल ही आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे, जिनके सापेक्ष उतनी ही संख्या में बर्तन पुनः आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बतम दो सप्ताह में डिलीवरी प्वाइण्ट पर उपलब्ध कराने होंगे।

2.6 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा नमूने के रूप में थाली एवं गिलास का एक सेट जनपद/विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि पृथम दृष्टया आपूर्तित बर्तनों के डिजाइन एवं आकार का नमूने से मिलान किया जा सके। इन नमूनों के साथ ही मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा मारकीन का कपड़ा एवं लाख भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि डिलीवरी प्वाइण्ट पर आपूर्तित बर्तनों में से जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा रैण्डम आधार पर दो सेट सैम्पल के रूप में सील कर सुविधाजनक रूप से प्रयोगशाला जॉच हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को शीघ्र ही उपलब्ध कराये जा सकें।

2.7 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त नमूने से मिलान किये जाने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को बर्तनों की प्राप्ति रसीद निम्न प्रारूप पर दो प्रतियों में उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

प्राप्ति रसीद

दिनांक : ....

1. आपूर्तिकर्ता का नाम :..
2. विकासखण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : ....
3. जनपद का नाम : ....
4. प्राप्त थाली की संख्या : ....
5. प्राप्त गिलास की संख्या : ....
6. कुल थाली एवं गिलास की संख्या : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

ब्लाक/नगर क्षेत्र : ....

2.8 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त थाली व गिलास की स्टॉक एन्ट्री अलग-अलग की जानी होगी, जिसमें विद्यालयवार आवंटन/प्राप्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा भी अंकित किया जाना होगा। उक्त एन्ट्री को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना होगा।

3. बर्तनों की टैस्टिंग

3.1 जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्तित बर्तनों में से प्रयोगशाला जॉच हेतु रैण्डम आधार पर सैम्पल एकत्रित कर सैम्पल को सील किया जायेगा। सील्ड सैम्पल को जिले स्तर पर एक कोड आवंटित किया जायेगा, ताकि सैम्पल की गोपनीयता बनी रहे। सील्ड/कोडेड सैम्पल को प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 गठित कमेटी द्वारा डिलीवरी प्वाइण्ट पर बर्तनों की आपूर्ति के 03 दिवस के भीतर रैण्डम आधार पर बर्तनों के 03 सेट सैम्पल टैस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेगें, जिनमें से 02 सेट बर्तन सील कर एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होंगे तथा 01 सेट बर्तन खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सील्ड कर सुरक्षित रखे जायेंगे।

3.3 जनपद द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र के सैम्पल को एक विशिष्ट कोडिंग दी जानी होगी, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह कोडिंग मारकीन के कपड़े पर परमानेन्ट मार्कर से अंकित किया जायेगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशालाओं एवं टैस्टिंग चार्जेज का निर्धारण किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा

समस्त सैम्पल की प्रयोगशाला में जॉच कराकर जनपदों को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाएगा।

3.4 सैम्पल टैस्टिंग में आने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसका समायोजन भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्तिम बिल से किया जाना होगा। टैस्टिंग चार्जेज की सूचना जनपदों को पृथक से प्रेषित की जायेगी, जिससे जनपदों द्वारा आपूर्तिकताओं को भुगतान के समय उसकी कटौती की जा सके।

3.5 सैम्पल टैस्टिंग हेतु भेजे गये थाली एवं गिलास तथा सैम्पल टैस्टिंग के उपरान्त प्राप्त बर्तनों का विवरण भी विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना होगा।

4. **बर्तनों का वितरण**

4.1 सैम्पल टैस्टिंग हेतु सैम्पल एकत्रित करने के उपरान्त समस्त बर्तनों का विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित बर्तनों की संख्या व प्राप्ति का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

4.3 बर्तनों के विद्यालयवार वितरण हेतु विद्यालयवार बर्तनों की संख्या के निर्धारण के संबंध में जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।

5. **भुगतान**

5.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित थाली व गिलास का बिल संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सम्बोधित होगा। बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रसीद की एक प्रति मूल रूप में संलग्न की जानी होगी।

5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपने फर्म/कम्पनी के बैंक खाते का विवरण, जिसमें भुगतान की धनराशि हस्तान्तरित की जानी होगी, उपलब्ध कराया जायेगा यथा– खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम एवं बैंक का आई0एफ0एस0 कोड आदि।

5.3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने अथवा सैम्पल टैस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने, जो भी बाद में प्राप्त हो, के 30 दिवस के अन्दर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टैस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा।

5.5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाना होगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।

5.6 एक थाली एवं एक गिलास के सेट का मूल्य रू0 113.30 निर्धारित है। अतः भुगतान हेतु बर्तनों के मूल्य का आगणन प्रति सेट बर्तन की दर से ही किया जायेगा।

6. कटौती

6.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर बर्तनों की आपूर्ति दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस तिथि के उपरान्त विलम्ब की स्थिति में कटौती का प्रावधान निम्नवत् है:–

week of delay	penalty imposed
First week	1% value of the delayed quantity.
Second week	2% value of the delayed quantity.
Third week	3% value of the delayed quantity.
Fourth week	4% value of the delayed quantity.
Fifth week	5% value of the delayed quantity.
Subject to a maximum of penalty of 5% value of the delayed quantity. If the supplier still fails to deliver the Utensils, even after the Fifth week, the Authority may exercise the option of termination of Agreement and forfeiture of the Security Deposit amount. For avoidance of doubt, it is made clear that for calculation of Penalty "Part of the Week" shall be treated as "Full Week"	

6.2 यदि सैम्पल टैस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त नहीं होती है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अन्दर संबंधित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित समस्त बर्तनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से प्राप्त कर, उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के बर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी व इस प्रक्रिया में होने वाले समस्त व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

6.3 आपूर्तित बर्तनों की वारण्टी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष (12 माह) निर्धारित की गयी है। यदि वारण्टी अवधि के अन्तर्गत बर्तनों में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 30 दिवस के अन्दर डिफेक्टेड बर्तनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के बर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

7. विद्यालय स्तर पर रखरखाव

7.1 विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में प्राप्त बर्तनों (थाली व गिलास) की स्टॉक इन्ट्री की जानी होगी।

7.2 एम0डी0एम0 रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर नोट–3 में दिनांक सहित प्राप्त बर्तनों (थाली व गिलास) की संख्या अंकित की जानी होगी।

7.3 एम0डी0एम0 रजिस्टर के भर जाने एवं नवीन एम0डी0एम0 रजिस्टर प्रारम्भ किये जाने की दशा में पृथम बायें पृष्ठ पर उक्तानुसार नोट–3 अंकित किया जाना होगा।

7.4 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं एम0डी0एम0 रजिस्टर में दर्ज इन्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7.5 निरीक्षणकर्ताओं द्वारा बर्तनों की उपलब्धता का अपनी निरीक्षण आख्या में अंकन किया जायेगा।

8– बर्तनों की आपूर्ति एवं तत्संबंधी इन्वेन्टरी का मैनेजमेन्ट उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा इस प्रयोजन पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

उक्त निर्देशों को जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद/विकासखण्ड/नगर क्षेत्र/विद्यालय स्तर पर प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

17/10/16

(अजय कुमार सिंह)
सचिव

संख्याः 1387(1)/79–6–2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
3 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
4 समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
5 निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
7 शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
8 समस्त खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:–1387/79–6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 17 अक्टूबर, 2016

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये गये थाली व गिलास की डिलीवरी प्वाइण्ट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टैस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के उपयोगार्थ थाली गिलास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1883/79–6–2015 दिनांकः 02 फरवरी, 2016 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा–1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों को उनमें अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार मध्यान्ह भोजन हेतु स्टेनलेस स्टील की एक थाली एवं एक गिलास का सेट प्रति छात्र उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उन बर्तनों का उपयोग छात्रों के मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने हेतु किया जायेगा तथा बर्तन विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। बर्तनों के क्रय हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से निविदा प्रक्रिया कर क्रयादेश निर्गत किये जाने एवं बर्तनों की आपूर्ति जनपद/ब्लाक पर होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा बर्तन क्रय किये जाने हेतु रू0 113.30 प्रति थाली एवं गिलास के सेट की दर से निम्न 03 आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निर्गत किया गया हैः–

1. मे0 पावरटेक इलेक्ट्रोइन्फा प्रा0लि0, सी–2001/22, इरम इण्टर कालेज के पीछे, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016
2. मे0 अभिलाषा कामर्शियल प्रा0लि0, जी–69, सेक्टर–6, नोएडा, उ0प्र0।

3. मे0 दीवान एण्ड सण्स, लकरी–फजलपुर, मिनी बाई पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

उपरोक्त तीनों आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित डिलीवरी प्वाइण्ट (खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर चिन्हित गोदाम/स्थान) एवं उसके सापेक्ष बर्तनों के सेट की संख्या संबंधी सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उपरोक्त क्रम में अपेक्षित है कि जनपद/विकास खण्ड स्तर पर बर्तनों की प्राप्ति एवं सत्यापन, सैम्पल टैस्टिंग, वितरण, भुगतान एवं कटौती आदि के संबंध में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करें :–

2. बर्तनों की प्राप्ति एवं सत्यापन

2.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर बर्तनों की आपूर्ति दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2.2 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं विद्यालयों में वितरण हेतु संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद स्तर पर आपूर्ति/भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र हेतु थाली व गिलास की पैकिंग पृथक–पृथक की जायेगी तथा आवंटित समस्त बर्तनों की संख्या की आपूर्ति एक कन्साइनमेन्ट में की जायेगी।

2.4 आपूर्ति के समय संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत गोदाम/स्थान पर अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करायी जायेगी तथा आपूर्तित बर्तनों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।

2.5 आपूर्ति के समय बर्तनों की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग अर्थात् वाहन से उतारने एवं नियत गोदाम/स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखे जाने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। परिवहन के समय हुई टूट–फूट की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में समस्त क्षतिग्रस्त बर्तन तत्काल ही आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे, जिनके सापेक्ष उतनी ही संख्या में बर्तन पुनः आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बतम दो सप्ताह में डिलीवरी प्वाइण्ट पर उपलब्ध कराने होंगे।

2.6 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा नमूने के रूप में थाली एवं गिलास का एक सेट जनपद/विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि पृथम दृष्टया आपूर्तित बर्तनों के डिजाइन एवं आकार का नमूने से मिलान किया जा सके। इन नमूनों के साथ ही मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा मारकीन का कपड़ा एवं लाख भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि डिलीवरी प्वाइण्ट पर आपूर्तित बर्तनों में से जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा रैण्डम आधार पर दो सेट सैम्पल के रूप में सील कर सुविधाजनक रूप से प्रयोगशाला जॉच हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को शीघ्र ही उपलब्ध कराये जा सकें।

2.7 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त नमूने से मिलान किये जाने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को बर्तनों की प्राप्ति रसीद निम्न प्रारूप पर दो प्रतियों में उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

प्राप्ति रसीद

दिनांक : ....

1. आपूर्तिकर्ता का नाम :...
2. विकासखण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : ....
3. जनपद का नाम : ....
4. प्राप्त थाली की संख्या : ....
5. प्राप्त गिलास की संख्या : ....
6. कुल थाली एवं गिलास की संख्या : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

ब्लाक/नगर क्षेत्र : ....

2.8 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त थाली व गिलास की स्टॉक एन्ट्री अलग-अलग की जानी होगी, जिसमें विद्यालयवार आवंटन/प्राप्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा भी अंकित किया जाना होगा। उक्त एन्ट्री को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना होगा।

3. बर्तनों की टैस्टिंग

3.1 जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्तित बर्तनों में से प्रयोगशाला जॉच हेतु रैण्डम आधार पर सैम्पल एकत्रित कर सैम्पल को सील किया जायेगा। सील्ड सैम्पल को जिले स्तर पर एक कोड आवंटित किया जायेगा, ताकि सैम्पल की गोपनीयता बनी रहे। सील्ड/कोडेड सैम्पल को प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 गठित कमेटी द्वारा डिलीवरी प्वाइण्ट पर बर्तनों की आपूर्ति के 03 दिवस के भीतर रैण्डम आधार पर बर्तनों के 03 सेट सैम्पल टैस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेगें, जिनमें से 02 सेट बर्तन सील कर एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने होंगे तथा 01 सेट बर्तन खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सील्ड कर सुरक्षित रखे जायेंगे।

3.3 जनपद द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र के सैम्पल को एक विशिष्ट कोडिंग दी जानी होगी, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह कोडिंग मारकीन के कपड़े पर परमानेन्ट मार्कर से अंकित किया जायेगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशालाओं एवं टैस्टिंग चार्जेज का निर्धारण किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा

समस्त सैम्पल की प्रयोगशाला में जॉच कराकर जनपदों को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जाएगा।

3.4 सैम्पल टैस्टिंग में आने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसका समायोजन भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्तिम बिल से किया जाना होगा। टैस्टिंग चार्जेज की सूचना जनपदों को पृथक से प्रेषित की जायेगी, जिससे जनपदों द्वारा आपूर्तिकताओं को भुगतान के समय उसकी कटौती की जा सके।

3.5 सैम्पल टैस्टिंग हेतु भेजे गये थाली एवं गिलास तथा सैम्पल टैस्टिंग के उपरान्त प्राप्त बर्तनों का विवरण भी विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना होगा।

4. <u>बर्तनों का वितरण</u>

4.1 सैम्पल टैस्टिंग हेतु सैम्पल एकत्रित करने के उपरान्त समस्त बर्तनों का विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित बर्तनों की संख्या व प्राप्ति का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

4.3 बर्तनों के विद्यालयवार वितरण हेतु विद्यालयवार बर्तनों की संख्या के निर्धारण के संबंध में जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।

5. <u>भुगतान</u>

5.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित थाली व गिलास का बिल संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सम्बोधित होगा। बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रसीद की एक प्रति मूल रूप में संलग्न की जानी होगी।

5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपने फर्म/कम्पनी के बैंक खाते का विवरण, जिसमें भुगतान की धनराशि हस्तान्तरित की जानी होगी, उपलब्ध कराया जायेगा यथा– खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम एवं बैंक का आई0एफ0एस0 कोड आदि।

5.3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने अथवा सैम्पल टैस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने, जो भी बाद में प्राप्त हो, के 30 दिवस के अन्दर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टैस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा।

5.5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाना होगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।

5.6 एक थाली एवं एक गिलास के सेट का मूल्य रू0 113.30 निर्धारित है। अतः भुगतान हेतु बर्तनों के मूल्य का आगणन प्रति सेट बर्तन की दर से ही किया जायेगा।

6. कटौती

6.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर बर्तनों की आपूर्ति दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस तिथि के उपरान्त विलम्ब की स्थिति में कटौती का प्रावधान निम्नवत् हैः—

week of delay	penalty imposed
First week	1% value of the delayed quantity.
Second week	2% value of the delayed quantity.
Third week	3% value of the delayed quantity.
Fourth week	4% value of the delayed quantity.
Fifth week	5% value of the delayed quantity.
Subject to a maximum of penalty of 5% value of the delayed quantity. If the supplier still fails to deliver the Utensils, even after the Fifth week, the Authority may exercise the option of termination of Agreement and forfeiture of the Security Deposit amount. For avoidance of doubt, it is made clear that for calculation of Penalty "Part of the Week" shall be treated as "Full Week"	

6.2 यदि सैम्पल टैस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त नहीं होती है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अन्दर संबंधित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित समस्त बर्तनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से प्राप्त कर, उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के बर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी व इस प्रक्रिया में होने वाले समस्त व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

6.3 आपूर्तित बर्तनों की वारण्टी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष (12 माह) निर्धारित की गयी है। यदि वारण्टी अवधि के अन्तर्गत बर्तनों में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 30 दिवस के अन्दर डिफेक्टेड बर्तनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के बर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।

7. विद्यालय स्तर पर रखरखाव

7.1 विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में प्राप्त बर्तनों (थाली व गिलास) की स्टॉक इन्ट्री की जानी होगी।

7.2 एम0डी0एम0 रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर नोट–3 में दिनांक सहित प्राप्त बर्तनों (थाली व गिलास) की संख्या अंकित की जानी होगी।

7.3 एम0डी0एम0 रजिस्टर के भर जाने एवं नवीन एम0डी0एम0 रजिस्टर प्रारम्भ किये जाने की दशा में पृथम बायें पृष्ठ पर उक्तानुसार नोट–3 अंकित किया जाना होगा।

7.4 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं एम0डी0एम0 रजिस्टर में दर्ज इन्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7.5 निरीक्षणकर्ताओं द्वारा बर्तनों की उपलब्धता का अपनी निरीक्षण आख्या में अंकन किया जायेगा।

8– बर्तनों की आपूर्ति एवं तत्संबंधी इन्वेन्टरी का मैनेजमेन्ट उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा इस प्रयोजन पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

उक्त निर्देशों को जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद/विकासखण्ड/नगर क्षेत्र/विद्यालय स्तर पर प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव

<u>संख्याः 1387(1)/79–6–2016 तद्‌दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
3 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
4 समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
5 निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
7 शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
8 समस्त खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।